फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय– विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट,(एन0 आई0 एक्ट प्रकरण)

कम 11, जयपुर महानगर द्वितीय

एचडीएफसी बैंक लि. बनाम राजीवर सिंह टोमार

किस्म मुकदमा – रेगुलर फौजदारी मुकद्मा नम्बर – 33634/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.2025	परिवादी अनुपस्थित। परिवादी के अधिवक्ता उपस्थित। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन करने से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में दिनांक 29.11.2013 को धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अपराध में प्रसंज्ञान लिया गया था। उसके पश्चात से पत्रावली तलबी मुलजिम हेतु नियत है। परिवादी पक्ष द्वारा गत पेशी पर तलबाना पेश नहीं किया गया है एवं आज दिनांक को भी परिवादी द्वारा तलबाना पेश नहीं किया गया है, इससे यह प्रतीत होता है कि परिवादी हस्तगत प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु कोई रूचि नहीं रख रहा है। हस्तगत प्रकरण इस न्यायालय का **Oldest Case No. 90** है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पुराने प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश हैं। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण गत कई पेशियों से परिवादी पक्ष की ओर से तलबाना पेश न करने के कारण धारा **204(4)** सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत खारिज किये जाने योग्य है। अतः हस्तगत प्रकरण धारा **204(4)** सी.आर.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) क्रम-11 जयपुर महानगर-द्वितीय	